**सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध**

संख्या–105 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2018

प्रेषक,

अंशुमालि शर्मा,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0
2–समस्त उप शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0
3–संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0

**उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना) विभाग** **लखनऊः दिनांक 29 मई, 2018**

विषयः–PFMS के रजिस्ट्रेशन के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2018–19 के लिए छात्र संख्या आवंटन के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन महाविद्यालयों / विद्यालयों का PFMS के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट के साथ आवंटन प्रस्ताव जून माह के प्रथम सप्ताह में लाकर आवंटन करा लें।

2– यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों का PFMS के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है, उन्हें 10 जून, 2018 तक PFMS के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराकर वार्षिक रिपोर्ट के साथ आवंटन प्रस्ताव 15 जून तक अवश्य प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आवंटन दूसरे महाविद्यालयों / विद्यालयों को कर दिया जायेगा।

3– यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि जून तक आवंटन न हो जाने की स्थिति में छात्र संख्या दूसरे राज्यों को स्थानांतरित कर दी जायेगी। अतः उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए उक्त समयान्तर्गत आवश्यक रूप से पूर्ण कर लें! 15 जून के बाद किसी भी पुरानी इकाई का कोई दावा नहीं रह जायेगा व शासन द्वारा नये प्रस्ताव मंगाकर 30 जून, 2018 से पूर्व आवंटन पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

श्री विनोद कुमार जी इस पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें

समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना
...काशी विद्यापीठ